BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF MEMBER SECRETARY, UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

(Respondent No. 2)

in

Original Application No. 1193/2024

News Item Titled, "Illegal miners attempt to run over a trainee IAS officer at U.P-Uttarakhand Border" appearing in the Hindustan times dated 26.09.2024

Sr. No.	Description of Documents	Page Nos.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-7
3.	**Annexure No. 1** (Copy of letter dated 13.11.2024.)	8
4.	**Annexure No. 2** (Copy of letter dated 20.01.2025.)	9-12

Date: , January, 2025

Place: Dehradun

Advocate

MUKESH VERMA
Advocate for the Respondent No. 2, UKPCB
Chamber No. 50,
Old Block,
Supreme Court of India,
New Delhi

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF MEMBER SECRETARY, UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

(Respondent No. 2)

in

Original Application No. 1193/2024

News Item Titled, "Illegal miners attempt to run over a trainee IAS officer at U.P-Uttarakhand Border" appearing in the Hindustan times dated 26.09.2024

I, Dr. Parag Madhukar Dhakate, aged about 47 years, S/o Sh. M.B. Dhakate Presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun,

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That the deponent is presently posted as the Member Secretary and is duly authorized to sign and file the instant affidavit on behalf of respondent no. 2 and as such he is well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 27.09.2024 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

> "......
>
> *9. Issue notices to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will*
>
> *remain virtually present to assist the Tribunal.*
>
> ......"

3. That in compliance with the above order Member Secretary, UKPCB addressed a letter bearing no. UKPCB/HO/UKPCB/HO/SA-183-819/2024/4115 dated 13.11.2024, to the District Magistrate, Udham Singh Nagar, regarding illegal miners attempting to harm a trainee IAS officer at the U.P.-Uttarakhand border. The NGT highlighted persistent illegal sand mining issues in the Thakurdwara region, which often leads to clashes with authorities and enable miners to escape across State borders. The District Magistrate, Udham Singh Nagar, has been requested to submit a report on illegal mining activities in the specified area to facilitate the preparation of a response/ reply affidavit before the

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002

next hearing on 22.01.2025. In this connection, a copy of letter dated 13.11.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 01** to this affidavit.

4. In relation to Original Application No. 1193/2024 before the Hon'ble NGT concerning illegal mining activities at the Uttar Pradesh-Uttarakhand border, as reported in the Hindustan Times dated 20-09-2024, a Joint Committee was constituted under District Magistrate, Udham Singh Nagar. The Committee was directed to prepare and provide a reply in relation to the present matter. District Magistrate, Udham Singh addressed a letter bearing no.4224/Justice Section-2()/2025 dated 20.01.2025 to the Secretary of Industrial Development (Mining), Uttarakhand Government and has provided report of joint committee. In this connection, a copy of letter dated 20.01.2025 is being marked and filed as **Annexure No.02** to this affidavit.

5. Following were major points of reply given vide a joint reply attached with letter dated 8th January, 2025 of Sub District Magistrate, Bajpur:

   a. Reports from the Circle Officers of Bajpur and Kashipur were procured which indicate that regular checks are being conducted in border areas, resulting in the seizure of 82 vehicles (42 in Bajpur and 40 in Kashipur) over the last six months for violations under the Motor Vehicles Act. To prevent future incidents, both circles have intensified monitoring through vehicle checks, established effective barriers, and implemented safety measures for officials engaged in anti-mining operations. The District Administration remains committed to ensuring compliance with legal provisions and addressing environmental concerns.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No. 19(01)2002

b. Further, a meeting was held at the Sub-District Magistrate's office in Bajpur on 18.10.2024 to address illegal sub-mineral activities. Mining businessmen and transporters were instructed to ensure that vehicles carrying sub-minerals stop at designated company check posts, where the flying squad employees would verify the Ravanna royalty.

c. On the night of 11.11.2024, a joint field inspection was conducted by the Sub-Divisional Magistrates of Tehsil Swar (District Rampur, Uttar Pradesh) and Tehsil Bajpur (District Udham Singh Nagar, Uttarakhand), along with officers from the Police, Mining, and Revenue Departments, and representatives of Kailash Riverbed Minerals LLP.

d. The investigation revealed that illegal mining and transportation occur in the border areas, including Uttarakhand's Tehsil Bajpur village, Sultanpur, and Mukandpur, as well as Uttar Pradesh's village Pattikala Ghosipura. The RBM is transported through various routes, including both sides of the Kosi River railway bridge, the Rudrapur-Kashipur old road, NH-74, and the Shiv temple/cremation ground area. Illegal RBM is then supplied to stone crushers in Uttar Pradesh. To mitigate this, it is recommended that pickets be established at strategic locations as followed:

I. the east side of the Kosi Bridge on the border of Tehsil Swar, District Rampur (Uttar Pradesh);

II. the west side of the Kosi Bridge on the border of Tehsil Kashipur, District Udham Singh Nagar (Uttarakhand); and

III. the Shiv temple/cremation ground under the railway bridge on the border of Tehsil Swar, District Rampur (Uttar Pradesh). These measures aim to prevent illegal mining and transportation in the region.

e. Moreover, the Kailash Riverbed Minerals LLP has taken proactive measures to curb illegal mining and transportation activities in the Udham Singh Nagar district, particularly in the Bajpur area. The company has established 67 check posts at strategic locations to monitor and prevent illegal sub-mining, as detailed in the enclosed list. Through these measures, illegal mining is being closely monitored, controlled, and effectively prohibited, showcasing a comprehensive approach to ensuring compliance with applicable mining laws and regulations.

6. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and order passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002

Deponent

Verification: -

Verified at Dehradun on this the 21 day of January, 2025, that the contents of the accompanying compliance affidavit are true and correct to

the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false and no material has been concealed therein.

Deponent

Dated: 21 January, 2025

FILED BY

S. No = 382

MUKESH VERMA
Advocate for the Respondent No. 2 UKPCB
Chamber No. 50,
Old Block,
Supreme Court of India,
New Delhi

This affidavit is sworn before me by
Shri Dr. Parag Madhukar Dhakate
who is identified by Shri ....
at Dehradun on 21-1-25

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Annexure-1

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

LiFE Lifestyle For Environment

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–819 / 2024 / 1115, दिनांक 13.11.2024

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

जिलाधिकारी
जिला ऊधमसिंहनगर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन सं0–1193/2024 **News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS officer at U.P.- Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times dated 26-09-2024** में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय मा0 हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन सं0–1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS officer at U.P.- Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times dated 26-09-2024 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। प्रकरण में जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर को प्रतिवादी सं0–6 एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवादी सं0–2 बनाया गया है। मा0 हरित अधिकरण द्वारा अन्य निर्देशों के साथ निम्न निर्देश पारित किये गऐ हैं:–

> *1. This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS officer at U.P.-Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times dated 26.09.2024.*
>
> *4. The article asserts that illegal sand mining has been a persistent issue in the Thakurdwara region for many years, often leading to clashes between Administrative Authorities and illegal miners. The miners frequently escape across the border into Uttarakhand Territory when confronted by law enforcement. This incident highlights the ongoing challenges faced by Authorities in curbing illegal mining activities and ensuring the safety of Officials involved in such operations.*

उपरोक्त निर्देश के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध खनन की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे मा0 हरित अधिकरण में *Response/reply affidavit* ससमय दाखिल किया जा सके। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 22.01.2025 को नियत है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऊधमसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर एवं उप निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊधमसिंहनगर से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना चाहें।

सदस्य सचिव

Annexure-2

महत्तवपूर्ण/समयवद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

Email Id:dmusn.1995@gmail.com फोन नं0—05944—242344/फैक्स—05944—250408

पत्र संख्या 4224/न्याय अनुभाग—2(   )/2025, दिनांक 20/01/2025

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग—1
उत्तराखण्ड़ शासन,
देहरादून।

विषय— माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 1193/2024 Titled as Illegal miners attempt to run over trainee IAS officers at U.P uttarakhand border appearing in the Hindustan times dated 20-09-2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 1193/2024 Titled as Illegal miners attempt to run over trainee IAS officers at U.P uttarakhand border appearing in the Hindustan times dated 20-09-2024 के सम्बन्ध में दिनांक 22.01.2025 से पूर्व प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 1193/2024 में वर्तमान तक जिलाधिकारी उधमसिंहनगर की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर किये जाने हेतु कोई अधिवक्ता नामित नही किया गया है।

अतः उपरोक्त के कम में अनुरोध है कि कि माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 1193/2024 में जिलाधिकारी उधमसिंहनगर की ओर से अधिवक्ता नामित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

प्रतिलिपि—

1— सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड देहरादून को पत्र सं0 1115 दिनांक 13.11.2024 के कम में उपजिलाधिकारी बाजपुर से प्राप्त आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2— उपनिदेशक खनन उधमसिंहनगर को उपजिलाधिकारी बाजपुर के पत्र सं0 5808 दिनांक 18.01.2025 से प्राप्त आख्या मय संलग्नों के संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग—1 उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में ससमय अधिवक्ता नामित करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी की ओर से प्रतिशपथ पत्र तैयार करवाने उपरान्त हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करनें।

जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बाजपुर जिला उधमसिंहनगर।

E-mail ID-sdmbajpurusn@gmail.com — Phone-05949-282582/Fax-282582

पत्रांक 5808/एस0टी0–संयुक्त निरीक्षण आख्या/2025 दिनांक 19 जनवरी, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

विषयः– माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या–1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over traince IAS Officers at U.P.- Uttarakhand boder" appearing in the Hindustan Times dated 20-09-2024 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0–3264/न्याय सहा0–2( )/2024 दिनांक 18.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या–1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over traince IAS Officers at U.P.- Uttarakhand boder" appearing in the Hindustan Times dated 20-09-2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय उधमसिंहनगर की ओर से संयुक्त गठित कमेटी से प्रतिउत्तर तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(डॉ0 अमृता शर्मा)
उप जिलाधिकारी, बाजपुर।

ADM/OC/JA

संयुक्त आख्या

जिलाधिकारी महोदय उधमसिंहनगर के कार्यालय पत्र सं0–3264/न्याय सहा0–2( )/2024 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या–1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over traince IAS Officers at U.P.- Uttarakhand boder" appearing in the Hindustan Times dated 20-09-2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय उधमसिंहनगर की ओर से संयुक्त गठित कमेटी से प्रतिउत्तर तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी पुलिस बाजपुर एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस काशीपुर को आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्राधिकारी पुलिस बाजपुर ने अपनी आख्या से अवगत कराया गया कि सर्किल बाजपुर के थानों की सीमाऐं भी सीमावर्ती जनपद रामपुर उ0प्र0 से लगी हुई है। सर्किल क्षेत्र के थाना बाजपुर/केलाखेडा/गदरपुर पुलिस द्वारा नियमित रूप से वाहन चैकिंग करते हुए अवैध खनन/ओवरलोड/ओवर स्पीड करने वाले वाहनों की नियमित चैकिंग की जा रही है। विगत छः माह में कुल 42 बडे वाहनों (ट्रक, डम्पर, ट्रैक्टर ट्राली) को अवैध खनन/ओवरलोड करते पाये जाने पर एम0बी0 एक्ट में सीज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी है। सर्किल बाजपुर क्षेत्र में ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद उ0प्र0 जैसी घटनाए भविष्य में न होने पाये इसके लिए बार्डर क्षेत्रों में सर्किल के सभी थानों को समय–समय पर प्रभावी पुलिस चैकिंग कराते हुए, अवैध खनन के कार्यों में लिप्त वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने, दौराने चैकिंग में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगणों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी बैरियर/अन्य सुरक्षात्मक कार्य किये जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

क्षेत्राधिकारी पुलिस काशीपुर ने अपनी आख्या से अवगत कराया गया कि सर्किल काशीपुर के थाना/आईटीआई/कुंडा की सीमाऐं भी सीमावर्ती जनपद रामपुर उ0प्र0 से लगी हुई है। सर्किल क्षेत्र के थाना आईटीआई/कुंडा पुलिस द्वारा नियमित रूप से वाहन चैकिंग करते हुए अवैध खनन/ओवरलोड/ओवर स्पीड करने वाले वाहनों की नियमित चैकिंग की जा रही है। विगत छः माह में कुल 40 बडे वाहनों (ट्रक, डम्पर, ट्रैक्टर ट्राली) को अवैध खनन/ओवरलोड करते पाये जाने पर एम0बी0 एक्ट में सीज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी है। सर्किल काशीपुर क्षेत्र में ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद उ0प्र0 जैसी घटनाए भविष्य में न होने पाये इसके लिए बार्डर क्षेत्रों में सर्किल के सभी थानों को समय–समय पर प्रभावी पुलिस चैकिंग कराते हुए, अवैध खनन के कार्यों में लिप्त वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने, दौराने चैकिंग में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगणों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी बैरियर/अन्य सुरक्षात्मक कार्य किये जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त अवैध उपखनिज के सम्बन्ध में दिनांक 18.10.2024 को उप जिलाधिकारी कार्यालय बाजपुर में बैठक आहूत की गयी थी जिसमें खनन व्यवसायियों/ट्रांसपोर्टरों द्वारा कम्पनी के निर्धारित चैकपोस्ट व फ्लाईग स्काड के कर्मचारियों के उपखनिज भरे वाहनों को रोककर रवन्ना रॉयल्टी चैक करने हेतु निर्देशित किया गया।

उप जिलाधिकारी बाजपुर के पत्र सं0–5311/एस0टी0–खनन/2024 दिनांक 14 नवम्बर, 2024 जो जिलाधिकारी महोदय उधमसिंहनगर को प्रेषित किया गया था, जिसमें दिनांक 11.11.2024 की रात्रि में तहसील स्वार जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) के उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, खनन अधिकारी व अन्य कर्मचारीगण तथा तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड के उपजिलाधिकारी व राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारीगण तथा कैलाश रिवर बेड मिनरल्स एल0एल0पी0 के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ कोसी नदी के आस–पास के क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड की सीमा पर अवैध खननकर्ताओं द्वारा अवैध आर0बी0एम0 के परिवहन किये जाने के सम्बन्ध में मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया तदोपरान्त दिनांक 12.11.2024 को तहसीलदार बाजपुर, राजस्व निरीक्षक बाजपुर, क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक व कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अवैध खनन सम्भव्य/प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान अवैध खनन/परिवहन को रोकने हेतु कैलाश रिवर बेड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा निम्न स्थानों पर पिकेट लगाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त खनन क्षेत्र उत्तराखण्ड तहसील बाजपुर के ग्राम

सुल्तानपुर व मुकन्दपुर तथा उत्तर प्रदेश तहसील स्वार के ग्राम पट्टीकलां की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के ग्राम पट्टीकला घोसीपुरा में अवैध खननकर्ताओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जो कि मुख्यतः रात्रि में किया जाता है। उक्त आर0बी0एम0 का अवैध खनन/परिवहन कोसी नदी से होते हुए रेलवे पुल के दोनों तरफ के रास्ते से निकलकर रूद्रपुर–काशीपुर मार्ग (पुराना) से तथा रेलवे पुल के दोनों तरफ के रास्ते से निकलकर रूद्रपुर–काशीपुर मार्ग (पुराना) से तथा रेलवे पुल के नीचे शिव मन्दिर/शमशान से ग्राम पट्टीकला घोसीपुरा होते हुए एन0एच0–74 मार्गों से किया जा रहा है तथा अवैध आर0बी0एम0 का परिवहन उत्तर प्रदेश से सटे हुए स्टोन केशरों में किया जा रहा है खननकर्ताओं द्वारा मुख्यतः रात्रि के समय में (उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश) के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा की स्पष्टता न होने के कारण रात्रि में अवैध खनन/परिवहन का लाभ किया जाता है।

1–अवैध खननकर्ताओं द्वारा मूल रूप से रात्रिकाल में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों में खनन किया जा रहा है निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अवैध आर0बी0एम0 का खनन/परिवहन को रोके जाने हेतु कोसी पुल के पूरब की तरफ तहसील स्वार जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) की सीमा पर

2–कोसी पुल के पश्चिम की तरफ तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) की सीमा पर

3–रेलवे पुल के नीचे शिव मन्दिर/शमशान पर जो कि तहसील स्वार जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिन पर पिकेट लगाया जाना आवश्यक है।

अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिए निम्न स्थानों पर कैलाश रिवर बेड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा वैरिकेटिंग/पिकेट लगाया जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है तथा वर्तमान में कैलाश रिवर बेड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा अवैध उपखनिज की रोकथाम हेतु जनपद उधमसिंहनगर में संलग्न सूची के अनुसार 67 चैक पोस्ट लगाये गये है तथा प्रशासन द्वारा बाजपुर क्षेत्रान्तर्गत अवैध उपखनिज पर प्रभावी कार्यवाही करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। वर्तमान में अवैध खनन के विरूद्ध कैलाश रिवर बेड मिनरल्स द्वारा चैक पोस्ट के माध्यम से अवैध खनन को नियन्त्रित कर पूर्णत् प्रतिबन्धित किया जा रहा है।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित गौरव)	(डॉ0 अमृता शर्मा)	(अभय प्रताप सिंह)
उप निदेशक/भू–वैज्ञानिक	उप जिलाधिकारी,	उप जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।	बाजपुर।	काशीपुर।

504 Gateway Time-out

The server didn't respond in time.